

प्रारूप- 2.23

परियोजना का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार - गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई- 10.00 किमी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

प्रतिहस्ताक्षरित

कार्यवाही  
हस्ताक्षरित  
प्रमाणित

बन  
186

वन क्षेत्राधिकारी  
भिलंगना रेंज वनराज्य  
टिहरी गढ़वाल

प्रमाणित वन अधिकारी  
नई टिहरी



## प्रारूप-50

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड भिलंगना में पौखार-गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (लम्बाई 10.00 कि०मी०)।

### एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन (संशोधित)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ०सी०, दिनांक:-05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है :-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी .....V
- 2- हरियाली का घनत्व ..... 0.3
- 3- एन०पी०वी० की दर प्रति है०- .....6,57,000.00
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल है०-.... 6.405 है०
- 5- कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि ..... 42,08,085.00

  
प्रमाणित किया जाता है,  
टिहरी वन प्रभाग,  
नई दिल्ली